प्रकाशन का 45 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 45 अंक-2 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 6-13 दिसम्बर 2020 मूल्य पांच रूपए

आसान नही होगा भाजपा के लिये नये अध्यक्ष का चयन

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा के नये अध्यक्ष का चुनाव 18 जनवरी को हो जायेगा यह संकेत मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने दिया है। इसके मुताबिक 17 को नांमाकन भरा जायेगा और 18 को चुनाव हो जायेगा। अध्यक्ष के लिये कितने लोग नांमाकन करते है या फिर चयन के स्थान पर मनोनयन को ही चुनाव मान लिया जाता है यह तो 18 जनवरी को ही पता चलेगा। वैसे अब तक प्रथा रही है उसमें मनोनयन को ही चयन की संज्ञा दी जाती रही है। इसलिये यही माना जा रहा है कि इस बार भी इसी प्रथा का निर्वहन होगा यह तय है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषको के लिये यह एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है कि इस मनोनयन का आधार क्या रहता है।

सामान्तय किसी भी राजनीतिक संगठन में अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद होता है। यह उसी पर निर्भर करता है कि यदि उसी की पार्टी सत्ता में है तो वह किस तरह सरकार और संगठन में तालमेल बनाये रखता है। यह भाजपा और वामदलों की ही संस्कृति है कि इनमें संगठन का सरकार पर पूरा नियन्त्रण रहता है। यह ष्शयद कांग्रेस में ही है कि संगठन सरकार के हाथों की कठपुतली होकर ही रह जाता है क्योंकि उसमें भाजपा और वामदलों जैसा काडरआज तक नही बन पाया है। भाजपा इस गणित में वामदलों से भी आगे है क्योंकि उसके सारे काडर का संचालन संघ के पास रहता है। इसी लिये संघ को एक परिवार कहा जाता है जिसकी एक दर्जन से अधिक ईकाईयां है और भाजपा संघ परिवार की राजनीतिक ईकाई है। भाजपा की इस संगठनात्मक संरचना के जानकार जानते है कि भाजपा के हर बड़े फैसलेके पीछे संघ की स्वीकृति रहती है। इसलिये आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी यह तय है कि इसमें संघ की स्वीकृति के बिना कुछ नही होगा। भाजपा सरकारों के महत्वपूर्ण ऐजैण्डे संघ परिवार ही तय करता है यह अब एक सार्वजनिक सत्य है। आज केन्द्र की मोदी सरकार पर जो देश को हिन्दु राष्ट्र बनाने के प्रयास करने के आरोप लग रहे हैं वह सब संघ ऐजैण्डे के ही परिणाम स्वरूप है।

इस परिदृष्य में आज केन्द्र से लेकर राज्यों तक के संगठनात्मक चुनावों में संघ के ही निर्देश सर्वोपरि रहेंगे यह तय है। इस समय पूरा देश नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उभरे विरोध की चपेट में आ चुका है। इसी विरोध का परिणाम है कि सरकार को अपना पक्ष रखने के लिये 3.5 करोड़ लोगों के पास पहुंचना पड़ रहा है। पोलिंग बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं और जनता के सामने स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है हर मुख्यमन्त्री की जिम्मेदारी लगाया गयी है कि पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से इस विषय पर जनता से संपर्क बनाये। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उभरे विरोध के आगे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना और तीन तलाक समाप्त करना सब कुछ गौण हो गया है। सरकार को 2024 में सत्ता में वापसी कर पाना अभी से कठिन लगने लग पड़ा है। क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद हुए सारे विधावसभा चुनावों और उपचुनावों में पार्टी को जन समर्थन में भारी कमी आयी है। हिमाचल में भी हुए दोनों उपचुनावों में लोकसभा के मुकाबले समर्थन में भारी कमी आयी है।

इसलिये आज जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जायेगा तो यह तय है कि उसमें इन सारे बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा। यह देखा जायेगा कि कौन सा नेता यह क्षमता रखता है कि वह सरकार का उचित मार्ग दर्शन कर पायेगा। संगठनात्मक चुनावों के पूराने शैडूयल के मुताबिक 15 दिसम्बर तक अध्यक्ष बन जाना था। लेकिन तब तक जिलों के चुनाव ही पूरे नही हो पाये इसलिये यह तारीख 31 दिसम्बर तक बढ़ाई गयी। लेकिन फिर यह संभव नही हो पाया और पांच जनवरी तक टाल दिया गया और अब 18 जनवरी को यह चुनाव होना तय हुआ है। यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष का चुनाव तीन बार आगे बढ़ाना पड़ा जिसका सीधा अर्थ है कि इस चयन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर उभरा रणनीतिक परिदृश्य लगातार प्रभावी होता जा रहा है। जब प्रदेश के उपचुनावों में लोकसभा के अनुपात में अन्तराल को बनाये नही रखा जा सका तो इस नेतृत्व के सहारे अगले चुनावों में सत्ता में वापसी की उम्मीद रख पाना कितना सही होगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। इस गणित में संगठन के लिये यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि इस प्रदेश में ऐसे कौन से वरिष्ठ नेता हैं जो प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर योगदान दे सकें। आज की परिस्थितियों में नेता का बौद्धिक होना भी आवश्यक होगा। क्योंकि जब वैचारिक ऐजैण्डें पर अमल किया जाता है तो उसके लिये तर्क आवश्यक हो जाता है। इस समय प्रदेश में भाजपा के पास इस सतर के दो ही नेता शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल रह जाते हैं जिनके पास अपना वैचारिक धरातल मौजूद है। धूमल को विधानसभा चुनावों में भी इसी कारण से नेतृत्व सौंपा गया था। लेकिन प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा के भीतरी समीकरणों में बहुत बदलाव आया है आज प्रदेश के युवा नेता जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं क्योंकि वह इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके बाद प्रदेश के युवा नेता अनुराग ठाकुर केन्द्र में वित मंत्री हैं। इसलिये प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिये मुख्यमंत्री के साथ ही इन दोनों नेताओं की राय भी महत्वपूर्ण रहेगी यह तय है। लेकिन प्रदेश में अब तक जिस तरह से प्रशासनिक फेरबदल एक सामान्य बात हो गई है उससे यह संदेश गया है कि सरकार की अब तक प्रशासन पर पकड़ नही बन पायी है। प्रदेश की महिला ईकाई की अध्यक्ष इन्दू गोस्वामी ने अपना त्याग पत्र देते हुये जिस तरह का कड़ा पत्र लिखा था उससे सरकार और संगठन के रिश्तों पर उंगलियां उठी हैं। विधान सभा अध्यक्ष राजीव बिन्दल को लेकर भी यह जग जाहीर हो चुका है कि वह मन्त्री बनना चाहते हैं। मन्त्रीयों के खाली चले आ रहे दोनों पद शायद इसी कारण से अब तक भरे नही जा सके हैं। इस तरह प्रदेश अध्यक्ष के चयन में ये सारे समीकरण प्रभावी भूमिका निभायेंगे यह तय हैं।

अब तक प्रदेश अध्यक्ष की सूची में जितने नाम चर्चा में रहे हैं उनमें सबसे अधिक बिलासपुर के त्रिलोक जमवाल और धर्माणी रहे हैं। यह माना जा रहा था कि शायद जे.पी.नड्डा इनमें से किसी एक को लेकर अपनी राय सार्वजनिक करेंगे और उससे नयी राजनीति शुरू हो जायेगी लेकिन ऐसा नही हो पाया है। अब सैजल प्रकरण से प्रदेश का दलित वर्ग रोष में आ गया है। गोस्वामी प्रकरण मे महिलाओ में रोष है। ऐसे में नये अध्यक्ष के लिये इन सारे वर्गो में सन्तुलन बनाये रखना एक बड़ी चुनौती होगी जिसके लिये किसी वरिष्ठ नेता के हाथों में ही अध्यक्ष की कमान देना अनिवार्य हो जायेगा।

मण्डी के नाचन में ठाकुर जयराम के दलित मन्त्री को नही मिली मन्दिर प्रवेश की अनुमति

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मन्त्री डॉ राजीव सैजल को मण्डी के नाचन के एक मन्दिर में प्रवेश नही करने दिया गया है। मन्त्री को मन्दिर में प्रवेश करने से प्रबन्धकों और कारदारों ने रोका है। राजीव सैजल स्वयं सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मन्त्री तथा दलित समाज से आते हैं। मण्डी मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और उन्ही के जिलें में उन्ही के मन्त्री को मन्दिर में प्रवेश नही करने दिया गया है। मण्डी में ही पिछले दिनों एक मन्दिर के प्रबन्धकों और कारदारों ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था जिसका उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषीयों के खिलाफ कड़ी कारवाई के निर्देश दिये थे। इन्ही निर्देशों के परिणामस्वरूप पुलिस हरकत में आयी और दोषीयों को हिरासम में लिया गया। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी जब सरकार के मन्त्री को दलित होने के नाते मन्दिर में प्रवेश की अनुमति नही दी गया तो इससे पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं।

मन्त्री ने अपने साथ हुए इस व्यवहार की जानकारी प्रदेश विधानसभा के एक दिन के लिये बलाये गये विशेष सत्र के दौरान स्वयं सदन में रखी है। मन्त्री द्वारा इस घटना की जानकारी सदन में रखने के बाबजूद सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कारवाई करने के प्रयास सामने नही आये हैं। प्रदेश के दलित समाज में इस व्यवहार को लेकर रोष देखने को मिला है। दलित समाज के सक्रिय कार्यकर्ता कर्म चन्द भाटिया ने इस संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष को पत्र लिख कर उचित कारवाई की मांग की है। भाटिया ने आरोप लगाया है सरकार के दबाव के चलते पुलिस ऐसे मामलों में प्रकरण तक दर्ज नही कर पाती है। पूर्व में दलित उत्पीड़न के कई मामलों में पुलिस की कारवाई सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में अब सरकार के मन्त्री के साथ ही हुए इस व्यवहार के बाद पूरे प्रदेश की निगाहें सरकार के रूख और पुलिस की कारवाई पर लग गयी हैं।

दलित कार्यकर्ता भाटिया ने उच्च न्यायालय को लिखा पत्र

सेवा में,

सम्मानीय मुख्य न्यायाधीश,

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,

शिमला हिमाचल प्रदेश,

विषयः- हिमाचल प्रदेश के समाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री श्री राजीव सैहजल को अपने ही प्रदेश के मंडी जिला के तहत नाचन विधानसभा क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मंदिर में मंदिर प्रबंधन व कारदारों द्वारा प्रवेश नहीं देने को लेकर, प्रदेश के बुलाए गए दिनांक 07/01/2020 मंगलवार को विशेष विधानसभा सत्र में मंत्री द्वारा दिए गए ब्यान मामले को उजागर करने को लेकर न्यायाधीश गण पीठ से समाज जन हित जातीय हित व समानता समतामूलक समाज हित में हस्तक्षेप एवं असवैधानिक कृत्य को लेकर उचित कानूनी न्याय संगत कारवाई का आग्रह।

मान्यवर जी,

सामाजिक कार्यकर्ता माननीय उच्च न्यायालय एवं एवं न्यायाधीश गण पीठ का ध्यान इस गंभीर संवेदनशील विषय की ओर दिलवाना चाहता है। इस पत्र से पहले भी प्राथी समाज हित के मामलों को लेकर कई मर्तबा समय-समय पर लिखे पत्र लिख न्यायालय को भेजता रहा है, जिन पर न्यायालय ने न्याय प्रदान किया है जिसके लिए मैं न्यायालय का तहे दिल से आभारी हूं।

शेष पृष्ठ8 पर.....

प्रदेश सरकार जन–जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जन–जातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रह है ताकि इनका विकास भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात जन–जातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की 47वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एकल प्रशासन प्रणाली अपनाने के बाद जन–जातीय सलाहकार परिषद द्वारा जन–जातीय क्षेत्रों के लोगों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जन–जातीय क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बजट का 09 प्रतिशत, जन–जातीय उप–योजना के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जन–जातीय उप–योजना के तहत 904 करोड़ रुपये योजना तथा 831 करोड़ रुपये गैर योजना के तहत आवंटित किए गए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जन–जातीय क्षेत्रों में 144.17 करोड़ रुपये भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए, 169.37 करोड़ रुपये शिक्षा क्षेत्र, 99.42 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र और 59.54 करोड़ रुपये सिंचाई व पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जन–जातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए हेलिकॉप्टर की नियमित उड़ानें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जन–जातीय क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर की 71 उड़ानें सुनिश्चित की गई, जिससे 2303 लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में जन–जातीय क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करने का मामला जन–जातीय कार्य मंत्रायल भारत सरकार से उठाया था और राज्य को इसके लिए चार करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2019–20 में भी केन्द्र सरकार ने इसके लिए चार करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार की पहल पर जन–जातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए केन्द्रीय जन–जातीय विकास मंत्रालय से 70 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बार्डर एरिया डवलेपमेंट प्रोग्राम) के तहत राज्य सरकार वर्ष 2017–18 में 10 करोड़ रुपये और वर्ष 2018–19 में 8.45 करोड़ रुपये प्राप्त करने में

सफल रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2019–20 में संविधान के अनुच्छेद–275 (1) के तहत 67 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, प्रदेश के जन–जातीय क्षेत्रों में तीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाने में सफल रही है। इन स्कूलों को भरमौर, पांगी और लाहौल में खोला गया है। उन्होंने कहा कि जन–जातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए 56 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से अभी तक 33.66 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने भरमौर और पांगी जन–जातीय क्षेत्रों के लिए टैली–मेडिसीन सुविधा प्रदान की है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018–19 में दो करोड़ रुपये विशेष सहायता के रूप में प्रदान किए हैं और इस वर्ष के लिए 1.74 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जन–जातीय क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए केलांग, काजा और पूह में भी टैली–मेडिसीन सुविधा आरम्भ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किन्नौर और स्पीति में जन–जातीय लोगों की सुविधा के लिए रामपुर में 6.79 करोड़ रुपये की लागत से जन–जातीय भवन का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून, 2000 को केलांग दौरे के दौरान जन–जातीय क्षेत्र लाहौल–स्पीति को हर मौसम के दौरान देश से जोड़ने के लिए रोहतांग सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाहौल–स्पीति और पांगी क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस सुरंग का शीघ्र ही लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 'अटल टनल' रखा गया है।

जय राम ठाकुर ने जन–जातीय सलाहकार परिषद की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का आश्वासन दिया और कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन–जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ और एफआरए के मामलों के निवारण के लिए कदम उठाए जाएंगे।

कृषि एवं जन–जातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने कहा कि जनता पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 1977 में परिषद का गठन किया गया और 1978 में परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जन–जातीय क्षेत्रों के विकास एवं जन–जातीय लोगों के कल्याण में गहरी रूचि के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने राज्य के जन–जातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जन–जातीय क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जन–जातीय क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तारें, खम्बे और अन्य उपकरण सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने जन–जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ मामले के शीघ्र निपटारे के लिए भी आग्रह किया।

भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खणी के भवन के शीघ्र निर्माण के लिए भी आग्रह किया।

इससे पूर्व, इस अवसर पर जन–जातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई।

इस अवसर पर जन–जातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिये। परिषद के लगभग सभी सदस्यों ने जन–जातीय क्षेत्रों में नौतोड़ मामले के शीघ्र निवारण और जन–जातीय क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा सुनिश्चित करने की आश्यकता पर बल दिया।

प्रधान सचिव जन–जातीय विकास ओंकार शर्मा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया।

विशेष सचिव जन–जातीय विकास सी.पी. वर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में उपाध्यक्ष राज्य वन विकास निगम सूरत नेगी, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, मनोज कुमार व आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

19 जनवरी को 6.5 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो खुराक

शिमला/शैल। राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। यह कार्यक्रम 19 जनवरी, 2020 को आयोजित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय और दक्षता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के पश्चात देशभर में पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में पोलियो का अन्तिम मामला नवम्बर, 2009 में सामने आया था जोकि उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिक से सम्बन्धित था। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो के मामले पाए जा रहे हैं इसलिए भारत सरकार ने सतर्कता के दृष्टिगत देशभर में इस अभियान के तहत शून्य से पांच वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का निर्णय लिया है।

विशेष सचिव स्वास्थ्य व मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. निपुन जिन्दल ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6.5 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व उद्योग मनोज कुमार, प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा व के.के. पन्त, विशेष सचिव राजस्व डी.सी. राणा, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. ए.के. गुप्ता, संयुक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास डॉ.भावना और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शिमला नागरिक सभा ने की शहर में बर्फबारी के बाद पैदा हुई व्यवस्था के लिये नगर निगम शिमला की घोर निंदा

शिमला/शैल। शिमला नागरिक सभा ने शिमला शहर में बर्फबारी के बाद पैदा हुई अव्यवस्था के लिये नगर निगम शिमला की घोर निंदा की है। शहर की जनता पिछले तीन दिन से भारी परेशानी में है और ये दोनों संस्थाएं कुम्भकर्णी नींद सोई हुई हैं। नागरिक सभा ने चेताया है कि अगर शीघ्र ही नगर निगम ने शिमला शहर में सेवाओं को बहाल न किया तो नागरिक सभा आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी।

नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली पर गम्भीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बर्फबारी में नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली बुरी तरह फेल हुई है। हालात ये हैं कि तीन दिनों से शहर के बीचों–बीच रास्ते बंद हैं व बसें नहीं चल रही हैं। एम्बुलेंस तक भी चल नहीं पा रही है। बसों के न चलने से लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। पूरा वर्ष भर चलने वाली आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग की इस बर्फबारी में पूरी पोल खुल गयी है। शहर की जनता भारी परेशानी में है। पिछले तीन दिनों से कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। पानी की पाइपें टूटी पड़ी हुई हैं। कई वार्डों में दो दिन से बिजली नहीं है। शहर में तीन दिन से कोई कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। अभी तक शहर की सड़कों व रास्तों से बर्फ नहीं हटी है। बर्फबारी के कारण दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। शहर में कर्मचारी व मजदूर वर्ग पिछले तीन दिनों से अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। शहर में पिछले तीन दिन से गैस का वितरण भी रुका हुआ है व लोग भारी ठंड में गैस से वंचित हो रहे हैं।

शहर में पूरी तरह अव्यवस्था का आलम है। शहर की जनता बर्फबारी के कारण बुरे दौर से गुजर रही है और भाजपा शासित नगर निगम के अठाईस पार्षद प न्डिचेरी आदि में मौज–मस्ती कर रहे हैं। यह बिल्कुल अमानवीय है। नगर निगम शिमला की लापरवाही इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि बर्फबारी से निपटना तो दूर बर्फबारी से निपटने के लिए सड़कों के किनारे मिट्टी,रेत व जीरा आदि रखने में भी नगर निगम पूरी तरह असफल रहा है। नगर निगम का जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग से तालमेल बिठाने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tender are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD, Bilaspur for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP-PWD, whose registrations stood re-newed as per revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax Act. 1968. The important date of tender are as under:-

Date of application	**30-01-2020 upto 2.00 PM**
Date of sale of tender form	**30-01-2020 at 05:00 PM**
Date of receipt of financial bid	**31-01-2020 at 10.30 AM**
Date of opening of financial bid	**31-01-2020 at 11.00 AM**

The tender shall be received up to 10.30 A.M. on 31-01-2020 and will be opened on the same day at 11.00 A.M in the presence of intending contractors or their authorised representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on 30-01-2020.

The Earnest money in the shape of National Saving Certificate/Deposit at call/ Time Deposit /Account/ in any of the Post-Office /Nationalised Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD, Bilaspur must accompany with each application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days. The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

S.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Time limit
	Restoration of Rain damages on Baner Zakatkhana road Km. 0/0 to 7/0 (SH:- C/o Retaining wall at RD 2/565 to 2/579 and 2/585 to 2/592) Telecom Deposit	Rs.1,99,760/-	Rs.4,000/-	Rs.350/	Three Month

Terms &Conditions:-
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. Earnest money should be accompanied with application. Application without earnest money will not be entertained.
3. The photo copy of Pan Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
4. The photo copy of GST Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
5. The tender forms will not be issued to those contractors who have two or more work in hand.

Adv. No.4015/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

स्वामी विवेकानन्द के विश्व बन्धुत्व और आत्म-जागृति का संदेश आज के वैश्विक परिपेक्ष्य में प्रासंगिक:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। विश्व स्तर पर हिंदू धर्म और हिंदू आध्यात्मवाद के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी विवेकानन्द को जाता है। उन्होंने समाज, गरीबों और वंचितों के हित के लिए अथक प्रयास किए। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के पालमपुर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के कायाकल्प हिमालयन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानन्द जन्मोत्सव समारोह में उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह दिन पूरे देश में हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द न केवल एक आध्यात्मिक विचारक थे, बल्कि वे एक प्रखर विचारक, महान वक्ता और देशभक्त भी थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्वतंत्र चिंतन को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि विश्व बन्धुत्व और आत्म-जागृति का उनका संदेश आज के वैश्विक राजनीतिक उथल-पुथल के परिपेक्ष्य में और भी अधिक प्रासंगिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति को जोड़ने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने हिंदू धर्मग्रंथों, दर्शन और जीवन पद्धति को पश्चिमी लोगों तक पहुंचाया। स्वामी जी ने पश्चिमी लोगों को यह अनुभव करवाया कि गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद, भारत का विश्व संस्कृति में महान योगदान था।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान अपने संपर्क में आए लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को आत्मसात किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने जीवन की उन कठिनाइयों को देखा, जिनका सामना आम लोगों को बीमारियों और कष्टों में करना पड़ता है तथा उन्होंने इन कष्टों से राहत दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का प्रण लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानन्द ने विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपनी प्रारंभिक पंक्ति 'मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों' के साथ सभी को चौंका दिया। उनके इस वाक्यांश का श्रोताओं ने खड़े होकर अभिवादन किया और वेदांत के सिद्धांतों और उनके आध्यात्मिक महत्त्व का वर्णन किया और हिंदू धर्म को विश्व

धर्मो के मानचित्र पर रखा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं और जीवन के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए इस तरह के समारोह का आयोजन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की शिक्षाएँ कई लोगों के लिए प्रेरणा है और विशेषकर युवाओं के लिए उनके शब्द आत्म-सुधार के लक्ष्य बन गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी जातिगत भेदभाव के खिलाफ थे और सार्वभौमिक भाईचारे तथा समानता में विश्वास रखते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के कारण भारत दुनिया के विश्वशक्ति के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। अब अनुच्छेद-370 और 35ए इतिहास बन गया है और भारत में अब एक संविधान और एक निशान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के फलस्वरूप संभव हुआ। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सी.ए.ए. केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है और राज्य के लोग इस फैसले के पक्ष में हैं क्योंकि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले भेदभाव से पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर 104 छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्होंने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जो एबीवीपी द्वारा हाल ही में आयोजित किए गए थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विवेकानन्द ट्रस्ट को 11 लाख रुपये अपनी ऐच्छिक निधि से देने की घोषणा की और कायाकल्प हिमालयन अनुसंधान संस्थान को 8.50 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इससे पहले, पालमपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने विवेकानन्द मेडिकल संस्थान के परिसर में स्वामी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि समर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व मुख्यमंत्री और विवेकानन्द ट्रस्ट के अध्यक्ष शान्ता कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि ट्रस्ट स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी एवं समर्पण से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जीवन और शिक्षाओं पर आधारित भाषण प्रतियोगिताएं लाहौल-स्पीति जिला को छोड़कर प्रदेशभर में आयोजित किया जाता है, जिसमें लगभग 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 3.5 करोड़ रुपये की लागत से हॉल का उद्घाटन करने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यद्र किया। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वामी जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने और एक अच्छा नागरिक बनने का आहवान किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सन्देश भी पढ़ा।

कीरतपुर-नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 1455.73 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा स्वीकृत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जानकारी दी की भारत सरकार ने कीरतपुर से नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेनिंग के शेष कार्य के लिए धनराशि जारी कर दी गई है और यह कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा जिससे राज्य के लोगों को सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय भूतल, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पास इस मामले को उठाया था और यह निर्णय उसी का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर सुदरंनगर बाईपास को छोड़कर एनएच 21 ग्रीन फील्ड एलाईनमेंट के कीरतपुर से नेरचौक की चार लेन के शेष कार्य के लिए 1455.73 करोड़ रुपये के टेंडर को स्वीकृति दी है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाईब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर शुक्रवार को इस सड़क के शेष काम के लिए टेंडर दिया है और जो कम्पनी इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करेगी, वह 15 सालों तक इसकी देखरेख भी करेगी। उन्होंने कहा कि 29 किलोमीटर का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के विकास रखरखाव और प्रबंधन का जिम्मा एनएचएआई को सौंपा था। प्राधिकरण ने कीरतपुर से नेरचौक के फोर लेन के लिए बनावट, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर कार्य करने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए एक निजी संस्था के चयन के लिए बोली प्रक्रिया कराने का फैसला लिया है, जिसके माध्यम से इस परियोजना का कार्य दिया जाएगा।

66 लोगों को हेलिकॉप्टर द्वारा लाहौल-स्पीति से कुल्लू लाया गया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सभी जिलों के उपायुक्तों और सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य में हिमपात के कारण बाधित सभी आवश्यक सेवाओं को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि 66 बीमार, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं को हेलिकॉप्टर द्वारा लाहौल-स्पीति से कुल्लू लाया गया है।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को बर्फबारी के कारण बाधित सभी प्रमुख सड़कों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए जाने वाली सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए, ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर बर्फबारी व फिसलन के कारण यातायात परिचालन में बाधा आती है वहां समुचित मात्रा में मशीने तैनात की जाएं, ताकि यातायात को समयबद्ध बहाल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति बाधित क्षेत्रों में आपूर्ति जल्द-से-जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचार सुविधाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में निरंतर विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी दृढ़ प्रयास किए जाएं क्योंकि संचार माध्यम आपदा के बेहतर प्रबन्धन के लिए नितान्त आवश्यक है।

जय राम ठाकुर ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को बर्फबारी के कारण बाधित जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

उन्होंने आवश्यक सुविधाओं की शीघ्र बहाली के लिए सभी विभागों को एक-दूसरे से विभिन्न स्तरों पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि बर्फबारी के दौरान मरीजों व अन्य आपात परिस्थितियों में फंसे लोगों की सहायता के लिए त्वरित आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में उपायुक्तों को पर्यटकों और आम जनता को सावधानी से वाहन चलाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा। उन्होंने लोगों से बर्फबारी के दौरान सचेत रहने तथा सरकार व प्रशासन को सहयोग करने की अपील की।

मिड-डे-मील योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के निर्देश:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव, अनिल कुमार खाची ने मिड-डे-मील योजना (मध्यान्ह भोजन योजना) की 19वीं राज्य स्तरीय परिचालन व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा विभाग को स्कूल जाने वाले हर पात्र छात्र को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 15516 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक 4,97,774 छात्र नामांकित हैं, जिन्हें मिड-डे-मील प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मिड-डे-मील योजना के तहत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 90:10 में अनुपात में राशि प्रदान की जाती है। इस वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 8586.33 लाख रुपये स्वीकृत किये है और राज्य सरकार ने 862.30 लाख रुपये आवंटित किये हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को मिड-डे-मील योजना के तहत डबल फोर्टिफाईड नमक (आयरन व आयोडीन) और फोर्टिफाईड एडिबल ऑयल (विटामिन ए और डी) के उपयोग का परामर्श दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओपन मार्केट में डबल फोर्टिफाईड एडिबल ऑयल उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों को इसे उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध करवाने की सम्भावनाएं तलाश करने को कहा है।

अनिल कुमार खाची ने कहा कि प्रदेश में चयनित 3740 सरकारी विद्यालयों में 25,000 प्री प्राईमरी छात्रों ने दाखिला लिया है, जिन्हें राज्य के संसाधनों से मिड-डे-मील प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि अतिरिक्त धन राशि प्राप्त करने के लिए मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए कदम उठाए जाएं।

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोहित जमवाल ने कार्यवाही का संचालन किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान, प्रधान सचिव जनजातीय विकास ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पंत, सचिव वित्त अक्षय सूद, सचिव एचपीसीएससी अमिताभ अवस्थी, प्रबन्ध निदेशक एचपीसीएससी मानसी सहाय ठाकुर, संयुक्त सचिव पंचायती राज सुरेन्द्र मालटू, उप सचिव शिक्षा वेद भूषण सुगेन, नोडल अधिकारी एमडीएमएस नरेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

फर्जी बिलों के माध्यम से पकड़े गए फार्मा इकाइयों में धोखाधड़ी के मामले

शिमला/शैल। राज्य एवं आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण परवाणु प्रवर्तन क्षेत्र के सयुंक्त आयुक्त के एक दल ने विभाग के जेसीएसटीई यू.एस. राणा के निरीक्षण में बरोटीबाला में एक इकाई में छापा मारकर आवक आपूर्ति के 4.5 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जब्त किए हैं। अब तक, ऐसी 09 फार्मा इकाइयों में छापों के दौरान 40 करोड़ रुपये के फर्जी बिल जब्त किए जा चुके हैं। एक ऐसे ही छापे के दौरान 61 लाख रुपये की नगदी बरामद की गई है जिसके बारे में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। उन 25 इकाइयों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिन्होंने फर्जी कम्पनियों से आपूर्ति प्राप्त की है।

उन्होंने कहा कि इन बिलों की मुख्य आपूर्तिकर्ता एक ट्रेडिंग फर्म है, जिसका पता लगया जा चुका है। इसका मालिक 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने वाला एक छोटा कर्मचारी है और लेबर क्वार्टर में रहता है। इन मामलों में कर की कुल चोरी 10 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। नकली बिलों की आपूर्ति करने वाली और नकली फार्मो के होने की भी आशंका है जिसकी जॉच की जा रही है। ऐसे अन्य दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।

इस दुनिया में सभी भेद – भाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

नागरिकता संशोधन पर कमजोर है सरकार का पक्ष

संशोधित नागरिकता अधिनियम लागू हो गया है। गृहमंत्री अमितशाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह अधिनियम हर हालत में लागू होकर रहेगा। लेकिन इसको लेकर उभरा विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से जेएनयू के छात्रों पर हमला हुआ है और इस हमले के दौरान रही दिल्ली पुलिस की भूमिका ने इस विरोध में आग में घी डालने का काम किया है। देश का बहुसंख्यक छात्र वर्ग इस विरोध में खुलकर सामने आ गया है। ऐसा लग रहा है कि एक बार पुन:जे.पी. और मण्डल बनाम मण्डल जैसे आन्दोलनों की पुनर्रावर्ती होने जा रही है। संशोधित नागरिकता अधिनियम ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और इसने विरोध के सारे स्वारों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। हर रोज़ हालात गंभीर होते जा रहे हैं क्योंकि सरकार इस पर विरोधीयों से टकराने के लिये तैयार बैठी है। उसके पास सरकारी तन्त्र की ताकत के साथ ही भाजपा संघ का काडर भी मौजूद है। यह इसी काडर का परिणाम है कि जेएनयू की हिंसा के लिये हिन्दु रक्षा दल ने खुलकर जिम्मेदारी ली लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर कोई ध्यान ही नही दिया।

इस परिदृश्य में यदि सारी वस्तुस्थिति का आकलन किया जाये तो सबसे पहले यह सामने आता है कि सरकार इस संशोधन को लेकर यह तर्क दे रही है कि देश की जनता ने उसे इसके लिये अपना पूरा समर्थन दिया है क्योंकि उसने लोकसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। आज सत्ता में आने पर उसी घोषणा पत्र को अमली शक्ल दी जा रही है। भाजपा का यह चुनाव घोषणा पत्र मतदान से कितने दिन पहले जारी हुआ था और इस पर कितनी सार्वजनिक बहस हो पायी थी यह सवाल हर पक्षधर को ईमानदारी से अपने आप से पूछना होगा। भाजपा को देश के कुल मतदाताओं के कितने प्रतिशत का समर्थन हासिल हुआ है यदि इसका गणित सामने रखा जाये तो बहुजन के समर्थन का दावा ज्यादा नही टिक पायेगा यह स्पष्ट है। इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा और जेडीयू ने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन आज नितिश कुमार ने कहा है कि वह इस विधयेक पर अपने राज्य में अमल नही करेंगें यही स्थिति शिवसेना की है। लोस चुनावों में भाजपा के साथ थी लेकिन आज अलग होकर अपनी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में इस विधयेक को लागू न करने की घोषणा की है। आकाली दल भी खुलकर इस अधिनियम के पक्ष में नही आया है। आखिर क्यों भाजपा के सहयोगी रहे यह दल नागरिकता संशोधन का समर्थन नही कर रहे हैं।

गैर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने इस अधिनियम पर अपने – अपने राज्यों में अमल करने से मना कर दिया है। जब से इस संशोधन को लेकर विवाद, खड़ा हुआ है उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को सीधे समर्थन नही मिला है। हरियाणा में लोकसभा चुनावों में सभी सीटें जीतने के बाद विधानसभा में अपने दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नही कर पायी। झारखण्ड भी उसके हाथ से निकल गया है। इस समय देश के दस बड़े राज्यों के मुख्यमन्त्री खुलकर इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केन्द्र और राज्यों में किसी मुद्दे पर टकराव की स्थिति उभरी है। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पांच दर्जन याचिकाएं आ चुकी है। इसके अतिरिक्त कई उच्च न्यायालयों में भी ऐसी ही याचिकाएं आ चुकी हैं। केरल विधानसभा तो इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर तब तक सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है जब तक हिंसा थम नही जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का पिछले अरसे से संवदेनशील मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई न करने का रूख रहा है। कश्मीर मुद्दे पर लम्बे समय तक सुनवाई नही की गयी। जेएनयू हिंसा से लेकर छात्र हिंसा से जुडें सभी मुद्दों पर सुनवाई लंबित की गयी है। यदि इन मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से सुनावई हो जाती तो बहुत संभव था कि हालात इस हद तक नही पहुंचते। क्योंकि दोनों पक्ष अदालत के फैसले से बंध जाते परन्तु ऐसा हो नही सका है।

आज विश्वविद्यालयों का छात्र इस आन्दोलन में मुख्य भूमिका में आ चुका है क्योंकि वह इन मुद्दों के सभी पक्षों पर गहन विचार करने की क्षमता रखता है। विश्वविद्यालय के छात्र की तुलना हाई स्कूल के छात्र से करना एकदम गलत है। विश्वविद्यालय के छात्र में मुद्दों पर सवाल पूछने और उठाने की क्षमता है। उसे सवाल पूछने से टुकड़े – टुकड़े गैंग संबोधित करके नही रोका जा सकता है। आज प्लस टू का छात्र मतदाता बन चुका है। ऐसे में जब प्लसटू से लेकर विश्वविद्यालय तक का हर छात्र मतदाता हो चुका है और सभी राजनतिक दलों ने अपनी – अपनी छात्र ईकाईयां तक बना रखी है। हर सरकार बनाने में इस युवा छात्र की भूमिका अग्रणी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश का सबसे पुराना छात्र संगठन है और संघ परिवार की एक महत्वपूर्ण ईकाई है। इस परिप्रेक्ष में आज के विद्रोही छात्र के सवालों को लम्बे समय तक अनुतरित रखना घातक होगा। किसी भी विचारधारा का प्रचार – प्रसार गैर वौद्धिक तरीके से कर पाना संभव नही होगा। किसी भी वैचारिक मतभेद को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा नही दी जा सकती है उसे आतंकी करार नही दिया जा सकता है। क्योंकि हर अपराध से निपटने के लिये कानून मे एक तय प्रक्रिया है उसका उल्लघंन शब्दों के माध्यम से करना कभी भी समाज के लिये हितकर नही हो सकता। नागरिकता संशोधन को इतने बड़े विरोध के बाद ताकत के बल पर लागू करना समाज के हित में नही हो सकता ।

व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होता है दान

जो हम देते हैं वो ही हम पाते हैं

दान के विषय में हम सभी जानते हैं। दान, अर्थात देने का भाव, अर्पण करने की निष्काम भावना। भारत वो देश है जहाँ कर्ण ने अपने अंतिम समय में अपना सोने का दांत ही याचक को देकर, ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके और राजा हरिश्चंद्र ने विश्वमित्र को अपना पूरा राज्य दान करके विश्व में दान की वो मिसाल प्रस्तुत की जिसके समान उदाहरण आज भी इस धारती पर अन्यत्र दुर्लभ हैं।

शास्त्रों में दान चार प्रकार के बताए गए हैं, अन्न दान, औषध दान, ज्ञान दान एवं अभयदान एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अंगदान का भी विशेष महत्व है।

–डॉ नीलम महेंद्र–

दान एक ऐसा कार्य, जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं बल्कि समाज एवं प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं।

किन्तु दान की महिमा तभी होती है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है अगर कुछ पाने की लालसा में दान किया जाए तो वह व्यापार बन जाता है ।

यहाँ समझने वाली बात यह है कि देना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि 'देने का भाव'। अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं लेकिन देने का भाव अर्थात इच्छा नहीं है तो वह दान झूठा हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं।

इसी प्रकार जब हम देते हैं और उसके पीछे कुछ पाने की भावना होती है जैसे पुण्य मिलेगा या फिर परमात्मा इसके प्रत्युत्तर में कुछ देगा, तो हमारी नजर लेने पर है देने पर नहीं तो क्या यह एक सौदा नहीं हुआ ?

दान का अर्थ होता है देने में आनंद, एक उदारता का भाव प्राणी मात्र के प्रति एक प्रेम एवं दया का भाव किन्तु जब इस भाव के पीछे कुछ पाने का स्वार्थ छिपा हो तो क्या वह दान रह जाता है?

गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है उसके फल पर नहीं।

हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है यह तो संसार एवं विज्ञान का साधारण नियम है इसलिए उन्मुक्त हृदय से श्रद्धा पूर्वक एवं सामर्थ्य अनुसार दान एक बेहतर समाज के निर्माण के साथ साथ स्वयं हमारे भी व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होता है और सृष्टि के नियमानुसार उसका फल तो कालांतर में निश्चित ही हमें प्राप्त होगा।

आज के परिप्रेक्ष्य में दान देने का महत्व इसलिये भी बढ़ गया है कि आधुनिकता एवं भौतिकता की अंधी दौड़ में हम लोग देना तो जैसे भूल ही गए हैं।

हर सम्बन्ध को हर रिश्ते को पहले प्रेम समर्पण त्याग सहनशीलता से दिल से सींचा जाता था लेकिन आज!

आज हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम सब दौड़ रहे हैं और दिल भी नहीं है क्योंकि सोचने का समय जो नहीं है !

हाँ, लेकिन हमारे पास पैसा और बुद्धि बहुत है , इसलिए अब हम लोग हर चीज में इन्वेस्ट अर्थात निवेश करते हैं, चाहे वे रिश्ते अथवा सम्बन्ध ही क्यों न हो ! पहले हम वस्तुओं का उपयोग करते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे किन्तु आज हम भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं तथा एक दूसरे का उपयोग करते हैं।

इतना ही नहीं, हम लोग निस्वार्थ भाव से देना भूल गए हैं। देंगे भी तो पहले सोच लेंगे कि मिल क्या रहा है और इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है।

जब हम अपनों को उनके अधिकार ही नहीं दे पाते तो समाज को दान कैसे दे पाएंगे ?

अगर दान देने के वैज्ञानिक पक्ष को हम समझें, जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो उस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता, वह वस्तु पाने वाले के आधिपत्य में आ जाती है । अत: देने की इस क्रिया से हम कुछ हद तक अपने मोह पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।

दान देना हमारे विचारों एवं हमारे व्यक्तित्व पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है इसलिए हमारी संस्कृति हमें बचपन से ही देना सिखाती है न कि लेना।

हर भारतीय घर में दान को दैनिक कर्तव्यों में ही शामिल करके इसे एक परम्परा का ऐसा स्वरूप दिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों में संस्कारों के रूप में शामिल हैं जैसे भोजन पकाते समय पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, चिड़ियों को दाना आदि।

यह कार्य हमें अपने बच्चों के हाथों से करवाना चाहिए ताकि उनमें यह संस्कार बचपन से ही आ जाएं और खेल खेल में ही सही वे देने के सुख को अनुभव करें। यह एक छोटा सा कदम कालांतर में हमारे बच्चों के व्यक्तित्व एवं उनकी सोच में एक सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध होगा।

दान धन का ही हो, यह कतई आवश्यक नहीं, भूखे को रोटी, बीमार का उपचार, किसी व्यथित व्यक्ति को अपना समय, उचित परामर्श , आवश्यकतानुसार वस्त्र, सहयोग, विद्या यह सभी जब हम सामने वाले की आवश्यकता को समझते हुए देते हैं और बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करते, यह सब दान ही है।

रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है।

दानों में विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है क्योंकि उसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही वह समाप्त होती है बल्कि कालांतर में विद्या बढ़ती ही है और एक व्यक्ति को शिक्षित करने से हम उसे भविष्य में दान देने लायक एक ऐसा नागरिक बना देते हैं जो समाज को सहारा प्रदान करे न कि समाज पर निर्भर रहे ।

इसी प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में रक्त एवं अंगदान समाज की जरूरत है। जो दान किसी जीव के जीवन के प्राणों की रक्षा करे उससे उत्तम और क्या हो सकता है?

देना तो हमें प्रकृति रोज सिखाती है, सूर्य अपनी रोशनी, फूल अपनी खुशबू, पेड़ अपने फल, नदियाँ अपनी जल, धरती अपना सीना छलनी करि कर भी दोनों हाथों से हम पर अपनी फसल लुटाती है।

न तो सूर्य की रोशनी कम हुई, न फूलों की खुशबू, न पेड़ों के फल कम हुए न नदियों का जल, अत: दान एक हाथ से देने पर अनेकों हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता बस शर्त यह है कि निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए । आचार्य विनोबा भावे भी कहते थे कि दान का अर्थ फेंकना नहीं बोना होता है।

योजनाओं का एलान ही क्यों जब उन्हें लागू करा पाने में सक्षम नही

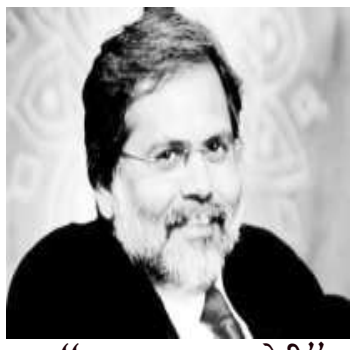

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

68 महीने में 168 योजनाओं का एलान । यानी हर 12 दिन में एक योजना का एलान । तो क्या 12 दिन के भीतर एक योजना पूरी हो सकती है या फिर हर योजना की उम्र पांच बरस की होती है तो आखरी योजना जो अटल भू-जल के नाम पर 25 दिसंबर 2019 में एलान की गई उसकी उम्र 2024 में पूरी होगी। या फिर 2014 में लालकिले के प्राचीर से हर सासंद को एक एक गांव गोद लेने के लिये जिस 'सासंद आदर्श ग्राम योजना' का एलान किया गया उसकी उम्र 2019 में पूरी हो गई और देश के 3120 (लोकसभा के 543 व राज्य सभा 237 सासंद यानी कुल 780 सांसदों के जरीये चार वर्ष में लेने वाले गांव की कुल संख्या) गांव सासंद निधि की रकम से आदर्श गांव में तब्दील हो गये। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि कुल 1753 गांव ही गोद लिये गये और बरस दर बरस सासंदो की रुची गांवो को गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाने में कम होती गई। मसलन पहले बरस 703 गांव तो दूसरे बरस 497 गांव, तीसरे बरस 301 गांव और चौथे बरस 252 गांव सासंदो ने गोद लिये। पांचवे बरस यानी 2019 में किसी भी सांसद ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया। लेकिन सच ये भी पूरा नही है। दरअसल जिन 1753 गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिये सांसदो ने गोद लिया उसमें से 40 फीसदी गांव यानी करीब 720 गांव के हालात और बदतर हो गये। ये कुछ वैसे ही है जैसे किसानों की आय दुगुनी करने के लिये 2013 में वादा और 2015 में एलान के बाद किसानों की आय देशभर में साढ़े सात फीसदी कम हो गई। लेकिन आंकडो के लिहाज से कृर्षि मंत्रालय ने और सरकार ने समझा दिया कि किसानों की आय डेढ़ गुनी बढ़ चुकी है जो कि 2022 तक दुनगुनी हो जायेगी। जाहिर है आकंडो की फेरहसित् ही अगर सरकार की सफलता हो जाये और जमीनी हालात ठीक उलट हो तो सच सामने कैसे आयेगा । यही से नौकरशाही, मीडिया, स्वायत्त व संवैधानिक संस्थानो की भूमिका उभरती है जो चैक एंड बैलेन्स का काम करते है। लेकिन सभी सत्तानुकुल हो जाये या फिर सत्ता ही सभी संस्थानों या कहें लोकतंत्र के हर पाये को खुद ही परिभाषित करने लगे तो फिर सत्ता या सरकार के शब्द ही अकाट्य सच होगें। दरअसल इस हकीकत को परखने के लिये 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक के टुमकर में प्रधानमंत्री मोदी के जरीये बटन दबाकर 6 करोड़ किसानों के बीच 12 हजार करोड़ की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बांटने के सच को भी जानना जरुरी है। चूंकि ये सबसे ताजी घटना है तो इसे विस्तार से समझे क्योंकि नये साल के पहले दो दिन यानी 1-2 जनवरी 2020 को लगातार ये खबरे न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर रेंगती रही और अखबारों के सोशल साइट पर भी नजर आई कि प्रधानमंत्री मोदी नये साल में किसानों को किसान सम्मान निधि का तोहफा देगें। और टुमकर में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बाकायदा एलान भी किया उन्होने बटन दबाकर कैसे एक साथ 6 करोड़ किसानों के खाते में दो हजार रुपये पहुंचा दिये है। जाहिर है ऐसे में सरकार की सोशल साइट जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ही नाम से चलती है उसमें ये आंकडा तुरंत आ जाना चाहिये। लेकिन वहां कुछ भी नहीं झलका। और आंकडो की बाजीगरी में से साफ लगा कि जो बटन दबाया गया वो सिर्फ आंखो में घूल झोकने के लिये दबाया गया। क्योंकि सरकार की सोशल साइट जो हर दिन ठीक की जाती है उसका सच ये है कि उसमें पहले दिन से लेकर आखरी दिन तक जो भी योजना के बारे में कहा गया या योजना को लागू कराने के लिये जो हो रहा है उसे दर्ज किये जाता है। बाकायदा दर्जन भर नौकशाह उसे ठीक करते रहते है। लेकिन किसान सम्मान निधि का सच ये है कि 1 दिसम्बर 2018 को पहली किस्त के साथ इसे लागू किया गया। हर चार महीने में दो हजार रुपये कि किस्त किसान के खाते में जानी चाहिये। तो दूसरी किस्त 1 अप्रैल 2019 को गई । तीसरी किस्ता 1 अगस्त 2019 को गई और चौथी किस्त 1 दिसबंर 2019 को गई जिसकी मियाद 31 मार्च 2020 तक है यानी अब बजट में अगर सम्मान निधि की रकम जारी रखने के लिये 75000 करोड़ का इंतजाम किया जायेगा तो ये जारी रहेगी अन्यथा बंद हो जायगी। लेकिन उस जानकारी के सामानातंर जरा सच समझ लीजिये। प्रधानमंत्री ने कौन सा बटन दबाया और किन 6 करोड़ किसानों को लाभ मिला इसका कोई जिक्र आपको किसी सरकारी साइट पर नहीं मिलेगा। अगर सरकारी आंकड़ों को ही सच मान ले तो कुल किसान लाभार्थियो की संख्या देश में करीब साढे आठ करोड़ (8,54,30,667) है । जिन्हें दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 की किस्त मिली है उनकी संख्या तीन करोड़ से कम (2,90,02,545) है । यानी छह करोड़ तो दूर बल्कि जो बटन दबाया गया उसका कोई आंकडा इस किस्त में नहीं जुडा। क्योंकि ये आंकडा सरकारी साइट पर 15 दिसंबर से ही रेंग रहा है। और हर दिन सुधार के बाद भी जनवरी में इसमें कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं है। असल में योजनाओं का लाभ भी कैसे कितनों को देना है ये भी उस राजनीति का हिस्सा है जिस राजनीति का शिकार भारत हर नीति और अब तो कानून के आसरे हो चला है। क्योकि झारखंड में 1 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 की किस्त किसी भी किसान को नहीं मिली। जबकि झारखंड में जिन किसानों का सम्मान निधि के लिये रजिस्ट्रेशन है, उनकी संख्या 15 लाख से ज्यादा (15,09,387) है । और इसी तरह मध्यप्रदेश के 54,02,285 किसानों का रजिस्ट्रेशन सम्मान निधि के लिये हुआ है लेकिन चौथी किस्त (1-12-2019 से 31-3-2020) सिर्फ 85 किसानों को मिली है। महाराष्ट्र में भी करीब 81 लाख (81,67,923) किसानों में से 15 लाख (15,28,971) किसानों को ये किस्त मिली और यूपी में करीब दो करोड (1,97,80,350) किसानों में से करीब 77 लाख किसानों को ये किस्त मिली। दरअसल योजनाओं का एलान कैसे उम्मीद जगाता है और कैसे राजनीति का शिकार हो जाता है। ये खुला खेल अब भारत की राजनीति का अनूठा सच हो चला है। क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल के किसानों की सूची नहीं भेजी तो बंगाल के किसी किसान को सम्मान निधि का कोई लाभ नहीं मिला। और बाकि राज्यों में जंहा जंहा बीजेपी चुनाव हारती गई वहां वहां किसानों को लाभ मिलना बंद होते गया।

फिर योजनाओं के अक्स तले अगर सिर्फ ग्रामीण भारत या किसानों से जुडे दर्जन भर से ज्यादा योजनाओं को ही परख लें तो आपकी आंखे खुली की खुली रह जायेगी कि आखिर योजनाओं का एलान क्यों किया गया जब वह लागू हो पाने या करा पाने में ही सरकार सक्षम नहीं है। क्योंकि 2014-19 के बीच एलान की गई योजनाओं के इस फेरहसित को पहले परख लें । किसान विकास पत्र, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्राम उदय से भारत उदय तक, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना और इस कड़ी में अगर उज्जवला योजना और दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर शुरु की गई योजनाओं का जोड कर गांव के हालत को परखेगें तो सरकारी आंकडो का ही सच है कि मनरेगा में मजदूरों की तादाद बढ़ गई है। क्योंकि भारत में पलायन उल्टा हो चला है। शहरों में काम नहीं मिल रही हो तो ग्रामीण भारत दो जून की रोटी के लिये दोबारा अपनी जमीन पर लौट रहा है। फिर खेती की कीमत बढ़ गई है और बाजार में खेती की पुरानी कीमत भी नहीं मिल पा रही है। किसान -मजदूर और ग्रामीण महिलाओं की खुदकुशी में बढ़ोतरी हो गई है। यानी कौन सी स्कीम या योजना सफल है या फिर योजनाओं के आसरे कौन सा भारत सुखमय है इसके लिये दिन दयाल उपाध्याय के गांव को भी परख लेना चाहिये। क्योंकि उनके नाम पर ग्राम ज्योती योजना, ग्रामीण कौशल्या योजना और श्रमेव जयते योजना का एलान हुआ है। जबकि दीन दयाल जी के गांव नगला चन्द्रभान की स्थिति देखर कोई भी चौक पड़ेगा कि जिनके नाम पर देश के गांव को ठीक करने की योजनायें है उन्ही का गांव बदहाल क्यों है। मथुरा जिले में पड़ने वाले नंगला चन्द्रभान गांव में पीने का साफ पानी नहीं है। हेल्थ सेंटर नहीं है। स्कूली शिक्षा तक के लिये गांव से बाहर जाना पडता है। तो क्या योजनाओं का एलान सिर्फ उपलब्धियों को एक शक्ल देने के लिये किया जाता है जिससे भविष्य में कोई बड़ी लकीर खिंचनी ना पडे। और देश का सच योजनाओं के भार तले दब जाये। देश के हालात और योजनाओं की रफ्तार का आकलन उज्जवला योजना से भी हो सकता है । उज्जवला योजना के तहत लकड़ी और कोयला जला कर खाना बनाते गरीहों का शरीर कैसे बिमारियों से ग्रस्त हो जाता है इसकी चिंता जतायी गई । लेकिन सच कही ज्यादा डरावना है। क्योकि मौजूदा वक्त में उज्जवला योजना के तहत आये 85 फीसदी गरीब दुबारा लकड़ी और कोयले के धुयें में जीने को मजबूर हैं। और इसकी वजह है कि पहली बार मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलने के बाद दुबारा गैस सिलिंडर भरवाने के लिये दो साल में भी रुपये की जुगाड 85 फीसदी गरीब कर नहीं पाये। सरकारी आंकडे यानी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ही रिपोर्ट बताती है कि देश में उज्जवला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा आये गरीबों ने हर चार महीने में गैस सिलेंडर बदला। जबकि सच ये है कि 85 फीसदी ने सिलेंडर रिफिलिंग कराया ही नहीं और बाकि 15 फीसदी ने सिलेंडर बदला। क्योंकि 14 किलोग्राम का गैस सिलेंडर पर अगर दो वक्त का खाना बने तो डेढ़ से दो महीने से ज्यादा वह चल ही नहीं सकता है। और राष्ट्रीय औसत साल भर में 3 सिलिंडर को भरवाने का है। जबकि ओडिसा, मध्यप्रदेश और असम या जम्मू कश्मीर में औसत दो ही सिलेंडर में साल खपा देने वाली स्थिति रही। यानी हर छह महीने में एक सिलेंडर।

दरअसल सरकारी योजनाओं का एलान और देश की माली हालत कैसे दो दिशाओं में जा रही है या जा चुकी है उसे भी अब समझने की जरुरत है। क्योंकि सवाल सिर्फ ग्रामीण भारत भर का नहीं है। शहर और महानगरों में भी जिस तरह एलान होते हैं उसे परखने की सोच मीडिया में खत्म हो चुकी है तो नौकरशाही सत्तानुकुल होकर ही बनी रह सकती है ये आवाज बुलंद है। मसलन नये साल के मौके पर बजट से ठीक महीने भर पहले वित्त मंत्री ने नयी योजनाओं के लिये 105 लाख करोड़ का ऐलान किया। लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि इससे पहले जो योजनायें ठप पडी है उन्हें कब कैसे पूरा किया जायेगा। क्योंकि दिसम्बर 2019 के हालात को परखे तो 13 लाख तीस हजार करोड़ के पुराने प्रोजक्ट अधूरे पडे हैं। जिसमें सरकार के प्रोजेक्ट करीब तीन लाख करोड़ तो प्राइवेट प्रोजेक्ट 10 लाख करोड से ज्यादा के है। और योजनाओं के इस कड़ी में सबसे बड़ा सच तो स्वच्छ भारत मिशन का है। जो ये मान चुका है कि भारत पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। चूकि मिशन का अपना आंकडा तो उसने 90 फीसदी सफलता के साथ साथ महाराष्ट्र, आध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 100 फीसदी सफलता दिखा दी। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 78 फीसदी तो यूपी में 52 फीसदी, झारखंड में 58 फीसदी के तो राजस्थान में 65 और मध्प्रदेश में 71 फीसदी ही सफलता मिल पायी है । यानी स्वच्छता मिशन भी सरकार की और नेशनल सैंपल सर्वे भी सरकार की। लेकिन दोनों में करीब 20 फीसदी का अंतर। और मजेदार बात ये है कि यही बीस फीसदी सफलता बीते पांच बरस में पायी गई। यानी नेशनल सैंपल सर्वे की माने तो सरकार ने सिर्फ 10 फीसदी काम पांच साल में किया और स्वच्छता मिशन चलाने वालों के मुताबिक हर बरस उन्होनें दस फीसदी की सफलता पायी। यानी 40 फीसदी देश में शौचालय बना दिये जो कि 2014 से पहले 58 फीसदी थे। तो योजनाओं के इस खेल में सरकार अपनी उपल्बिधयां अपने चश्में से देखने की आदि हो चली है और जनता भी वहीं चश्मा पहन लें इसके लिये सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े पार्टी सदस्यों की कतार देश भर में सत्ता के शब्द ही चबाने की आदि है। इस कड़ी में अब स्वयंसेवकों का भी साथ है और हुकांर भरती मीडिया भी सत्ता के इसी ढोल को सफलता के साथ सुनाने में हिचकती नहीं तो ऐसे में स्वयंसत्त या संवैधानिक संस्थानों को संभाले नौकरशाह भी सत्ता की भाषा को अपनाने में देर नहीं करते। तो ऐसे में इसकी त्रासदी कैसे उभरती है ये महाराष्ट्र में किसानो की खुदकुशी से समझा जा सकता है। जहां हर दो से तीन घंटे की बीच एक किसान खुदकुशी करता है और ये सिलसिला 2015 से लगातार है। 2015 में 3376 किसानों ने शुदकुशी की तो 2019 में 2815 किसानों ने खुदकुशी की। सिर्फ नवंबर के महीने में 312 किसानों ने खुदकुशी की। और खुदकुशी करने वाले ज्यादातर किसान सम्मान निधि से लेकर फसल बीमा और अन्य किसान योजनाओं से जुडे हुये थे। जिसमें सरकारी फाइलों में कईयों को कर्ज से भी मुक्त कर दिया गया था। लेकिन सच यही है कि जो सरकारी फाइलो में दर्ज है या फिर जो योजनाओं के एलान के साथ किसानों को राहत पहुंचा रहा है उनमें से कुछ भ ी किसानों तक पहुंच नहीं पाता है। चाहे प्रधनमंत्री कोई भी एलान करें या कोई भी बटन दबाये ।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 7900 करोड़ रुपये का राज्य योजना आकार प्रस्तावित

शिमला/शैल। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपये का राज्य योजना आकार प्रस्तावित किया गया है। यह 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2019-20 की तुलना में 800 करोड़ रुपये अधिक है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन, सिरमौर और शिमला जिलों के विधायकों के साथ आगामी बजट के लिए उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक के दौरान यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से 6900 करोड़ रुपये की सात प्रमुख बाह्य आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजनाएं स्वीकृत करवाने में सफल हुई है। इनमें पर्यटन विकास, बागवानी विकास, पेयजल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबन्धन और राज्य सड़क परियोजनाएं चरण-2 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 7029 करोड़ रुपये के चार अन्य बाहरी आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजनाएं वन, रज्जू मार्ग, आपदा प्रबन्धन और ऊर्जा क्षेत्र केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचारधीन है। इन परियोजनाओं से किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने 445.49 करोड़ रुपये की 122 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिन्हें वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विधायकों की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनसे 96721 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा। इनमें से 13,656 करोड़ रुपये की 240 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हाल ही में 27 दिसम्बर को किया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए सरकार गम्भीर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों से जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे वहीं राज्य कोष में करोड़ों रुपये का राजस्व आएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जन मंच लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान करने की दिशा में एक कारगर पहल साबित हुई है और अभी तक 45 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 के अन्तर्गत दिसम्बर माह के अन्त तक 30,303 शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं लोगों को लाभान्वित करने में सफल सिद्ध हो रही हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत हासिल उपलब्धियों के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को श्रेष्ठ राज्य आंका गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में समग्र श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दूसरा स्थान मिला है जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में ही एक प्रतिष्ठित पत्रिका के सर्वेक्षण में शिक्षा व स्वास्थ्य में पहला स्थान मिला है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा रहा है ताकि सभी योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके और इनमें गुणवता भी बनी रहे। प्रदेश सरकार ने पारदर्शी और जिम्मेवार शासन देने का कार्य किया है और 'सबका साथ सबका विकास' के ध्येय के साथ समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

जिला सोलन

नालागढ़ के विधायक लखविन्दर सिंह राणा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विधायक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने जागो में कॉलेज और पुलिस थाना खोलने का आग्रह किया।

दून के विधायक परमजीत सिंह ने चण्डी में कॉलेज खोलने की मांग रखी। उन्होंने दून विधानसभा क्षेत्र में और स्वास्थ्य संस्थान खोलने और सड़कों के सुधार का आग्रह किया।

सोलन के विधायक कर्नल (डॉ.) धनीराम शांडिल ने सोलन शहर के लिए भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति योजना और पार्किंग स्थल विकसित करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सैरी में पुलिस थाना खोलने का भी आग्रह किया।

जिला सिरमौर

पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने राजगढ़ क्षेत्र में पैराग्लाईडिंग की सम्भावनाएं तलाश करने का आग्रह किया जिससे क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां आरम्भ होंगी और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पैंशन की वर्तमान आय सीमा को 35 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की भी मांग रखी।

रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार ने चुड़धार-नोहराधार-कुपवी में पर्यटन सर्कट विकसित का आग्रह किया क्योंकि यहां साहसिक पर्यटन के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने रेणुका चीड़ियाघर के सुधार की मांग रखी जो पहले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हुआ करता था। उन्होंने ददाहु में डिग्री कॉलेज और माइना में आईटीआई खोलने का अनुरोध किया।

पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति में सुधार की मांग की। उन्होंने किसानों के हित में टयूबबैल के बिजली बिलों में कटौती करने और क्षेत्र में फसलों के लिए मण्डियां खोलने का आग्रह किया। विधायक ने क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना के सुधार की भी मांग की।

शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति में बाधा चिन्ता का विषय है जिसके लिए शीघ्र उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

जिला शिमला

चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने नागरिक अस्पताल नेरवा में अधिक सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया क्योंकि इस अस्पताल पर क्षेत्र की 22 पंचायतें निर्भर हैं। उन्होंने चौपाल डिग्री कॉलेज के लिए वन स्वीकृति का मामला सुलझाने और कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में स्कूल भवनों के समयबद्ध निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का मामला भी रखा।

ठियोग के विधायक राकेश सिंघा का कहना था कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में सीए स्टोर खोले जाने चाहिए ताकि बागवानों को अपने उत्पादों के बेहतर दाम मिल सकें। उन्होंने किसानों को रूट स्टॉक उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ठियोग बाईपास का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का आग्रह किया।

कसुम्पटी के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने मांग की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए लखोटी और मझार पुलों के निर्माण का भी अनुरोध किया।

शिमला ग्रामीण के विधायक बिक्रमादित्य सिंह ने मांग की कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने शिमला ग्रामीण में सड़कों के सुधार का मामला भी उठाया। उन्होंने पॉलीटैक्निक कॉलेज बसन्तपुर और धरोगड़ा सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ करने का आग्रह किया।

रामपुर के विधायक नन्दलाल ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की स्थिति में सुधार किया जाए। उन्होंने शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की मांग की।

रोहडू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने आग्रह किया कि शिमला-हाटकोटी-रोहडू सड़क का कार्य जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों और पेयजल आपूर्ति में सुधार का आग्रह किया।

प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि योजना बैठकों से प्रदेश के सभी क्षेत्रों के प्रभावी और नियोजित विकास में सहायता मिलती है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.राजीव सैजल, मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभागध्यक्ष भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधायकों की प्राथमिकता बैठकें वर्ष में दो बार हो आयोजित पर सरकार करेगी विचार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। वर्ष 2020-21 के बजट के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए दूसरे सत्र में मण्डी और किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि ये बैठकें प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें ताकि लक्षित वर्गों तक इनका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विचार करेगी कि विधायकों की प्राथमिकता बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित हो ताकि उनकी प्राथमिकताओं वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

जिला मण्डी

करसोग के विधायक हीरा लाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोलने का मामला उठाया। उन्होंने तत्तापानी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया।

सुन्दरनगर के विधायक राकेश जमवाल ने सुन्दरनगर अस्पताल का कार्य आरम्भ करने और सुन्दरनगर में बेहतर मल निकासी सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत उपमण्डल के युक्तिकरण और सुन्दरनगर में 220 केवी उप केन्द्र स्थापित करने के साथ-साथ सुन्दरनगर के सौन्दर्यीकरण का भी आग्रह किया।

नाचन के विधायक विनोद कुमार ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जन सुविधा के लिए कुछ क्षेत्रों को नगर नियोजन के दायरे से बाहर रखा जाए। उन्होंने सड़कों में सुधार के साथ-साथ गोहर और कनैड़ के लिए मल निकासी योजना देने और विधायक निधि में वृद्धि की मांग की।

द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों में सुधार और पेयजल आपूर्ति योजनाओं को स्तरोन्नत करने व नई योजनाएं आरम्भ करने की मांग की। उन्होंने पधर में नागरिक न्यायालय आरम्भ करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने की मांग भी रखी।

जोगेन्द्रनगर के विधायक प्रकाश राणा में लड़भड़ोल में नागरिक अस्पताल खोलने और लड़भड़ोल कॉलेज धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में और एम्बूलेंस सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने की मांग की।

मण्डी के विधायक अनिल शर्मा ने मांग उठाई कि मण्डी शहर में चौबीसों घण्टे पानी की आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि मण्डी शहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मण्डी में स्टेडियम बनाने का भी अनुरोध किया।

बल्ह के विधायक इन्द्र सिंह गांधी ने अप्पर बल्ह क्षेत्र में स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग की सेवाओं को सुदृढ़ करने का मामला उठाया। उन्होंने क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित करने का आग्रह किया क्योंकि क्षेत्र में रिवालसर व नलसर जैसी झीलों के कारण पर्यटन की अपार क्षमताएं हैं।

सरकाघाट के विधायक कर्नल इन्द्र सिंह ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सीर खड्ड के तटीकरण और विधानसभा क्षेत्र में बेहतर पेयजल आपूर्ति की सुविधा देने का आग्रह किया। उन्होंने बलदवाड़ा कॉलेज में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने की भी मांग की।

जिला किन्नौर

किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाई जाए। उन्होंने विधायक निधि के अन्तर्गत धनराशि बढ़ाने और किन्नौर जिला में खनिज पट्टे देने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य कर सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।

सड़कें, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति योजनाएं विधायकों की विशेष प्राथमिकताए:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन प्रतिनिधि जो मुद्दे उठाते हैं और बहुमूल्य सुझाव देते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से तैयार की जानी चाहिए और ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह वित्त वर्ष 2020 – 21 की वार्षिक योजना के लिए कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक के पहले सत्र की अधयक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामले प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएं। प्रदेश के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है और लोक निर्माण विभाग को सड़कों का नियमित रख – रखाव करना चाहिए, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों का समान एवं संतुलित विकास निश्चित कर रही है और उन दूर – दराज क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो विकास के मामले में किसी कारण पीछे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कें, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति योजनाएं विधायकों की विशेष प्राथमिकताएं हैं, इसलिए संबधित विभागों को प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तीव्रता से कार्य करना चाहिए।

शहरी विकास मन्त्री सरवीन चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्री विपिन परमार, उद्योग मन्त्री बिक्रम सिंह और वन मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर भी बैठक में उपस्थित थे और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

जिला कांगड़ा

नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने नूरपुर अस्पताल में बेहतर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस अस्पताल में आपातकालीन वार्ड भूतल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए चौक डैम बनाने के लिए आग्रह किया।

इन्दौरा की विधायक रीता देवी ने सूरजपुर और इन्दपुर पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए आग्रह किया। उन्होंने इन्दौरा में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए भवन बनाने का आग्रह भी किया। उन्होंने घागवा में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में बोल्टेज की समस्या का निवारण होगा।

ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने नागरिक अस्पताल नगरोटा सूरियां और ज्वाली के भवन निर्माण और यहां पर्याप्त स्टाफ और चिकित्सक तैनात करने का आग्रह किया। उन्होंने विधायक प्राथमिकता योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया।

देहरा के विधायक होशियार सिंह ने विभिन्न संस्थानों में पर्याप्त संख्या में स्टाफ मुहैया करवाने और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जाने वाली राशि के युक्तिकरण के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हरिपुर क्षेत्र में सांस्कृतिक विविधता की अपार सम्भावना हैं इसलिए इस क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिगत विकसित किया जाना चाहिए।

जयसिंहपुर के विधायक रविन्द्र कुमार ने कहा कि पालमपुर – हारसीपतन सड़क का सुधार किया जाए क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र की एक मात्र जिला सड़क है। उन्होंने ब्यास नदी के तटीकरण और क्षेत्र में अवैध खनन रोकने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन सर्किट विकसित करने और पालमपुर व पंचरूखी उप – तहसीलों के भवनों का निर्माण करने की मांग की।

नगरोटा के विधायक अरूण कुमार ने मामला उठाया की नाबार्ड के अन्तर्गत धनराशि आवंटित करने की सीमा 105 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये की जाए। चंगर क्षेत्र होने के कारण निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के लिए निरीक्षण वाहन प्रदान किया जाए। उन्होंने टाण्डा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के आवासों के रख – रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि देने और कॉलेज परिसर में पार्किंग विकसित करने का आग्रह किया।

कांगड़ा से विधायक पवन कुमार काजल ने राजकीय महाविद्यालय मटौर के भवन के लिए पर्याप्त धनराशि की मांग की। उन्होंने कहा कि गगल हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए ताकि यहां बड़े जहाज उतर सकें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसके कारण लोगों का विस्थापन न हो।

धर्मशाला से विधायक विशाल नैहरिया ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का आग्रह किया। उन्होंने नगर निगम धर्मशाला में भी पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करने की मांग की क्योंकि निगम का कार्य भार काफी अधिक है। उन्होंने धर्मशाला में बहुमंजिला पार्किंग विकसित करने और बस अड्डे को अन्यत्र स्थानांतरित करने का आग्रह किया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों के लिए पर्याप्त धनराशि देने और पालमपुर में समुचित बस अड्डा व पार्किंग स्थल की मांग की। उन्होंने कहा कि नए रूटों पर नई बस सेवाएं आरम्भ की जाएं और पालमपुर में इण्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए जिसके लिए भूमि के चयन और हस्तांतरण का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। उन्होंने विधायक प्राथमिकताओं की परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने का भी आग्रह किया।

बैजनाथ के विधायक मुलखराज प्रेमी ने अपने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बैजनाथ में आईपीएच मण्डल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बैजनाथ में शिव धाम विकसित किया जाए। उन्होंन पपरोला में बहुमंजिला पार्किंग और बैजनाथ में ओवर ब्रिज निर्मित करने का भी आग्रह किया।

जिला बिलासपुर

झंडुता के विधायक जीतराम कटवाल ने अपने विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग का उपमण्डल, फायर स्टेशन और सब – जज कार्यालय खुलने से लोगों को बहुत राहत मिली है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ नियुक्त करने का आग्रह किया।

बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने विस्थापितों को बग्गा सीमेंट प्लांट में रोजगार देने की मांग की। उन्होंने बिलासपुर बस अड्डा के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड और प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने गोविन्द सागर झील को पर्यटन के लिए विकसित करने की मांग करते हुए लुहणु मैदान को विभिन्न खेलों के लिए विकसित करने तथा बिलासपुर से बंदला की धार के लिए रज्जू मार्ग बनाने की मांग की।

श्री नैना देवी जी विधान सभा क्षेत्र से विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में कई सड़क परियोजनाएं इस वजह से शुरू नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने मध्य हिमालयी परियोजना की परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग का भी आग्रह किया, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यो में तेजी लाने का अनुरोध करते हुए जुखाला में मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण की मांग भी रखी।

जिला कुल्लू

कुल्लू के विधायक सुन्दर सिंह ठाकुर ने विकास परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कीरतपुर – मनाली उच्च मार्ग को फोर लेन बनाने के कार्य में विलम्ब पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उन्होंने कुल्लू से बिजली महादेव सड़क को स्तरोन्नत करने और बिजली महादेव रज्जू मार्ग का भी आग्रह किया। उन्होंने कुल्लू से भुन्तर के बीच मल निकासी सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि औषधीय और कपड़ा उद्योग के उद्देश्य से भांग की खेती के लिए नीति बनाई जाए।

बंजार के विधायक सुरेन्द्र सिंह शौरी ने यातायात की समस्या के समाधान के लिए बंजार बाईपास के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र में और रेशम उत्पादन केन्द्र खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने बंजार में आईटीआई खोलने और बजौरा को मल निकासी लाईन से जोड़ने की भी मांग की।

आनी के विधायक किशोरी लाल ने अपने विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण एवं रख – रखाव के लिए और धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आनी क्षेत्र में ईको – पर्यटन और साहसिक पर्यटन के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए पर्यटकों की सुविधा के लिए समुचित अधोसंरचना विकसित की जाए। उन्होंने श्रीखण्ड यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी मांग की ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को इस यात्रा के लिए आकर्षित किया जा सके।

मुख्य सचिव अनिल खाची सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। वार्षिक योजना के लिए विधायकों की प्राथमिकता निर्धारण के लिए आयोजित चम्बा, ऊना, हमीरपुर और लाहौल – स्पिति जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनसे प्रदेश की जनता के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेन्द्र कंवर और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बैठक के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

जिला चम्बा

भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार का मामला उठाया। उन्होंने किलाड़ क्षेत्र में मल निकासी और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आम जनता विशेषकर मरीजों की सुविधा के लिए किलाड़ और पांगी के लिए हेलीकॉप्टर की अधिक उड़ाने भरी जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि चम्बा – पांगी – किलाड़ सड़क को भारत माता परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए भारत सरकार से मामला उठाया जाए।

चम्बा के विधायक पवन नैयर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चम्बा मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए ताकि इसे निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।

भटियात के विधायक बिक्रम सिंह जरयाल ने भटियात में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मण्डल स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस चौकी सिंहुता को पुलिस थाना बनाने, 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल चुवाड़ी को 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा कुछ अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने की मांग की।

जिला ऊना

चिन्तपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह ने कहा कि चिन्तपूर्णी मंदिर को विकसित किया जाना चाहिए जिसके लिए केन्द्र सरकार की प्रसादम योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अम्ब को नगर परिषद् बनाने की घोषणा को शीघ्र अमलीजामा पहनाया जाए। उन्होंने गृह निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की आय सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का आग्रह किया ताकि अधिक से अधिक गरीब लोग लाभान्वित हो सकें।

गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने शिवबाड़ी मन्दिर के विकास और सौन्दर्यीकरण का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दौलतपुर कॉलेज के लिए अलग मैदान का निर्माण किया जाए। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने का आग्रह किया।

हरोली के विधायक और नेता प्रतिपक्षप मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में अनावश्यक विलम्ब हटाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। उन्होंने क्षेत्र में अवैध खनन के मामलों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में टयूबबैल के निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि को 1. 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

ऊना के विधायक सतपाल रायजादा ने ऊना अस्पताल में आपतकालीन वार्ड बनाने की मांग करते हुए कहा कि इस अस्पताल को पर्याप्त चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की उपलब्धता करवाकर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऊना शहर में यातायात की समस्या से निपटने के लिए रिंग रोड बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए निर्वाचन क्षेत्र में मल निकास परियोजनाओं को गति प्रदान की जाए।

जिला हमीरपुर

भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने भोरंज अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध करवाने और क्षेत्र में और बसों की सुविधा की मांग की। उन्होंने भोरंज में फायर स्टेशन खोलने और नाबार्ड के अंतर्गत डीपीआर जल्दी तैयार करने की मांग की। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त जलापूर्ति की मांग भी की।

सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में टाउन हॉल का निर्माण शीघ्र किया जाए और सुजानपुर अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए यहां विशेषज्ञों के पद भरे जाएं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोक भवन के निर्माण के साथ – साथ सड़कों की स्थिति में सुधार का आग्रह किया। श्री राणा ने सुजानपुर में मिनी सचिवालय निर्मित करने का आग्रह भी किया।

हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने विद्यार्थियों की आहार राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की मांग की। उन्होंने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की।

बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मेहरे में बस अड्डा और शाहतलाई से दियोटसिद्ध के लिए रज्जू मार्ग के निर्माण की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और धनेटा से शिमला के लिए बस सेवा आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में स्थायी पुलिस चौकियां स्थापित करने और नागरिक अस्पताल बड़सर और राजकीय महाविद्यालय बड़सर को सुदृढ़ करने का भी आग्रह किया।

नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना की मुख्य बैठक से पहले योजना – पूर्व बैठक आयोजित करने की मांग उठाई ताकि योजना की बैठक और सार्थक हो सके। उन्होंने नादौन में स्पाइस पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पादों के बेहतर दाम सुनिश्चित बनाने के लिए क्षेत्र में सीए स्टोर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

मुख्य सचिव अनिल खाची ने अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए सभी विधायकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधायकों के सुझाव प्रदेश के लिए विकासोन्मुखी योजना बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

नागरिकता संशोधन अधिनियम में धार्मिक प्रताड़ना का जिक्र क्यों नही

शिमला/शैल। नागरिकता संशोधन अधिनियम अन्नत: लागू हो गया है क्योंकि भारत सरकार ने दस तारीख को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन इस अधिनियम के खिलाफ उठे विरोध के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सहित सारा केन्द्रिय नेतृत्व लगातार यह कह रहा है कि इस संशोधन से किसी की भी नागरिकता नही जायेगी बल्कि यह संशोधन तो नागरिकता प्रदान करेगा। विपक्ष द्वारा उठाये गये विरोध पर यह कहा जा रहा है कि वह इस बारे में भ्रम फैला रहा है। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के उन अल्पसंख्यकों को जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया तथा ऐसे लोग 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आ गये हैं। इन अप्लसंख्यकों में इन देशों के हिन्दुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को शामिल किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी नागरिक जो भारत में 11 वर्षो से रह रहा है वह यहां की नागरिकता के लिये आवदेन कर सकता है। अब संशोधन करके यह अवधि घटाकर पांच वर्ष कर दी गयी है। इन तीनों देशों का इन धर्मो से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति यदि वह 31 दिसम्बर 2014 को भी भारत में आ गया है और पांच वर्षो से यहीं रह रहा है तो वह इस संशोधन से यहां की नागरिकता का पात्र हो जायेगा।

अब इस परिप्रेक्ष में यह सवाल उठता है कि जब सारा मुद्दा ही इतना सा ही है तो इस पर यह विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास क्यों नही किया जा रहा है। यदि किसी अल्पसंख्यक के साथ उसके हिन्दु, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी होने के कारण प्रताड़ना की जा रही है तो उसकी इस तरह से सहायता करने में आपति क्यों होनी चाहिये? इन सवालों के लिये नागरिकता संशोधन अधिनियम के मसौदे पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। तीन पृष्ठों के इस संशोधन में धर्म के आधार पर प्रताड़ना का एक बार भी उल्लेख नही किया गया है। पूरे देश में यह बताया जा रहा है कि इन देशों में इन समुदायों के लोगों के साथ धर्म के कारण प्रताड़ना की जा रही है। पिछले दिनों एक अंग्रेजी दैनिक में वित्त राज्य मन्त्री अनुराग ठाकुर का एक लेख छपा था। उसमें यह आंकड़ा दिया गया था कि अफगानिस्तान में पचास हजार हिन्दु थे जो धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण वहां से पलायन करके भारत आ गये हैं और अब वहां पर केवल एक हजार हिन्दु ही रह गये हैं। यदि वित्त राज्य मन्त्री का यह आंकड़ा सही है तो यह चौंकाने वाला है। लेकिन भारत सरकार ने जो आंकड़ा संसद में रखा है उसके मुताबिक तीनों देशों के केवल 31 हजार लोगों ने भारत की नागरिकता के लिये आवदेन कर रखा है। आंकड़ों का यह विरोधाभास भी भारत सरकार की नीयत पर शक का कारण बन जाता है।

इसी के यह भी उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम आसाम में एनआरसी पर उठे विरोध के बाद लाया गया। एनआरसी पर संसद में गृहमंत्री का स्पष्ट ऐलान रहा है कि इसे पूरे देश में लागू किया जायेगा। गृहमंत्री के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा ने भी इसी तरह का ब्यान दिया है। अभी विरोध शांत भी नही हुए कि सरकार ने एनपीआर की भी घोषणा कर दी। इसके लिये 3941. 35 करोड़ की धन राशी भी जारी कर दी। इस तरह एक ही समय में एनआरसी, सीएए और एनपीआर तीन मुद्दे जनता के सामने आ खड़े हुए हैं। तीनों का आधार 1955 का नागरिकता अधिनियम है। इसमें यह प्रावधान है कि सरकार अपने नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी तैयार कर सकती है। सरकार अपने नागरिकों का एक जन संख्या (एनपीआर) रजिस्टर तैयार कर सकती है। सरकार यही सब कर रही है फिर इसमें यह विवाद और विरोध क्यों? इसे समझने के लिये एनआरसी, एनपीआर और सीएए तथा इनमें आपसी संबंध को एक साथ समझना आवश्यक है। क्योंकि तीनों का संचालन एक ही अथॉरिटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया के पास है।

यह सब असम में एनआरसी तैयार करने से शुरू हुआ। एनआरसी नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए के तहत तैयार किया जाता है। असम में यह रजिस्टर तैयार हुआ तब करीब 20 लाख लोग इसकी गिनती से बाहर हो गये। इनमें हिन्दु और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग थे। चर्चा है कि इसी स्थिति से निपटने के लिये नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें प्रचार तो यह किया जा रहा है कि धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता प्रदान की जायेगी। लेकिन संशोधन के मसौदे की एक भी लाईन में धार्मिक प्रताड़ना का जिक्र नही है और साथ ही इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ यह सवाल था कि यदि एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना है तो उसके लिये जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना होगा। एनपीआर तैयार करने का प्रावधान 2003 के नागरिकता नियमों में है। नियम 3(a)के तहत इसे तैयार किया जाता है। इसके लिये 2010 में शुरूआत की गयी थी। 2011 में हाऊस लिस्टिंग की गयी जिसे 2015 में डोर टू डोर सर्वे करके अपडेट किया गया। लेकिन एनपीआर के लिये 2010 में जो नियम तय किये गये थे आज 2019-20 के नियम उससे भिन्न हैं। अब एनपीआर के लिये माता-पिता का जन्म स्थान और जन्म तिथि बताना आवश्यक है। जनगणना में सारी जानकारी व्यक्ति के अपने सत्यापन पर आधारित होती है यह 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत तैयार किया जाता है जबकि एनपीआर 2003 के नागरिकता नियमों के आधार पर तैयार किया जाता है और अब इसके नियम 17 के तहत दण्ड का भी प्रावधान कर दिया गया है। इस तरह यदि इस सबको समग्रता में देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एनपीआर ही एनआरसी और सीएए का आधारभूत डाटा उपलब्ध करवायेगा। इसी में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी नागरिकता को लेकर सन्देह व्यक्त कर सकता है। इस सन्देह का निराकरण व्यक्ति को स्वयं करना होगा। इस तरह पूरे प्रकरण पर जो भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं उनका कोई सीधा और स्पष्ट जवाब नही दिया जा रहा है। बल्कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनके लोग एकदम उनसे भिन्न बात और आचरण कर रहे हैं। इससे यह संकेत उभरना स्वभाविक है कि सरकार एक रणनीति के तहत जनता के सामने वास्तविक स्थिति नही रख रही है। इसी कारण से यह आरोप लग रहा है कि यह सारा भ्रम का वातावरण हिन्दुराष्ट्र के ऐजैण्डे को लागू करने की नीयत से पैदा किया जा रहा है।

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019

No. 47 OF 2019

[12*th December*, 2019.]

An Act further to amend the Citizenship Act, 1955.

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Citizenship (Amendment) Act, 2019. Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—

Amendment of section 2.

2. In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (*1*), in clause (*b*), the following proviso shall be inserted, namely:— 57 of 1955.

"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (*c*) of sub-section (*2*) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;". 34 of 1920. 31 of 1946.

Insertion of new section 6B.

3. After section 6A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Special provisions as to citizenship of person covered by proviso to clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 2.

'6B. (*1*) The Central Government or an authority specified by it in this behalf may, subject to such conditions, restrictions and manner as may be prescribed, on an application made in this behalf, grant a certificate of registration or certificate of naturalisation to a person referred to in the proviso to clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 2.

(*2*) Subject to fulfilment of the conditions specified in section 5 or the qualifications for naturalisation under the provisions of the Third Schedule, a person granted the certificate of registration or certificate of naturalisation under sub-section (*1*) shall be deemed to be a citizen of India from the date of his entry into India.

(*3*) On and from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2019, any proceeding pending against a person under this section in respect of illegal migration or citizenship shall stand abated on conferment of citizenship to him:

Provided that such person shall not be disqualified for making application for citizenship under this section on the ground that the proceeding is pending against him and the Central Government or authority specified by it in this behalf shall not reject his application on that ground if he is otherwise found qualified for grant of citizenship under this section:

Provided further that the person who makes the application for citizenship under this section shall not be deprived of his rights and privileges to which he was entitled on the date of receipt of his application on the ground of making such application.

(*4*) Nothing in this section shall apply to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the Sixth Schedule to the Constitution and the area covered under "The Inner Line" notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873.'. Reg. 5 of 1873.

Amendment of section 7D.

4. In section 7D of the principal Act,—

(*i*) after clause (*d*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*da*) the Overseas Citizen of India Cardholder has violated any of the provisions of this Act or provisions of any other law for time being in force as may be specified by the Central Government in the notification published in the Official Gazette; or";

(*ii*) after clause (*f*), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no order under this section shall be passed unless the Overseas Citizen of India Cardholder has been given a reasonable opportunity of being heard.".

Amendment of section 18.

5. In section 18 of the principal Act, in sub-section (*2*), after clause (*ee*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*eei*) the conditions, restrictions and manner for granting certificate of registration or certificate of naturalisation under sub-section (*1*) of section 6B;".

SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 3

Amendment of Third Schedule.

6. In the Third Schedule to the principal Act, in clause (*d*), the following proviso shall be inserted, namely:—

'Provided that for the person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be read as "not less than five years" in place of "not less than eleven years".'.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

भाटिया का पत्र .....पृष्ठ 1 का शेष

यह की हिमाचल प्रदेश के समाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री राजीव सैहजल जी ने प्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 07/01/2020 को बुलाऐ गए विशेष विधानसभा सत्र में अपनी आप बीती बात रखी, विधानसभा का ध्यान दिलवाया की मैं मंत्री हिमाचल के मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार के साथ नाचन विधानसभा क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मंदिर में गया लेकिन मुझे मंत्री को मंदिर प्रबंधन व मंदिर का कारदारों द्वारा प्रवेश ही नहीं दिया गया क्योंकि मंत्री राजीव सैजल अनुसूचित जाति वर्ग से सबंध रखते हैं। मंत्री जी का यह ब्यान विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और प्रदेश के दिनांक 08/01/2020 के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

इस प्रकरण का प्रभाव समस्त अनुसूचित जाति समाज के लोगों पर गहरे रूप से पड़ा है।

उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय एवं न्यायधीश गण पीठ के समक्ष लाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित मंत्री श्री राजीव सैजल श्री विनोद कुमार विधायक के साथ ही जब जाति आधार पर मंदिर प्रबंधन व मंदिर कार द्वारा इस तरह का बर्ताव किया गया तो अन्य अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ किस तरह का अमानवीय अपमानजनक जातीय व्यवहार किया जाता होगा। इस घटनाक्रम से अनुमान लगाया जा सकता है कि संवैधानिक व्यवस्था के आधुनिकता युग में मंदिर प्रबंधन व मंदिर के कारदारों देव समाज के लोगों द्वारा किस तरह देवी देवताओं के नाम इनकी आड़ में अनुसूचित जाति वर्गो इस समाज के लोगों के लिए कैसी व्यवस्थाएं मनगढ़ंत प्रथाएं जातिय आधार थौंपी गई परंपराएं कायम की गई हैं। ऐसी परंपराऐं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी दूरदराज के सभी क्षेत्रों में आज भी कायम है जो कि समानता समतामूलक सभ्य समाज की स्थापना के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जातीय आधाार पर इस तरह की भेदभाव छुआछूत पर आधारित कार्यवाही मामला है जो कि समाज के लोगों उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा अपमानित करता मनोबल को बुरी तरह प्रभावित करता है समाजिक प्रशासनिक धार्मिक आपसी भाईचारा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है ऐसी ऐसी असंवैधानिक कार्रवाई को लेकर विशेष अनुसूचित जाति वर्गो को निशाने पर रख अपमानित करने को लेकर भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता ऐसी घटनाओं के सामने आना बहुत ही पीड़ादायक हैं। यह कि जब मंत्री महोदय से ये घटनाक्रम घटित हुआ तो उनके साथ जो सरकारी प्रशासनिक प्रदेश व जिला स्तर के आलाधिकारी रहे, उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त तुरंत कारवाई की और मंत्री राजीव सैहजल ने एफआईआर आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाई।

यह कि माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश गण पीठ से आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थलों में मंदिरों में मनमाने कायदे कानून नियम मंदिर कारदारों द्वारा देव समाज के लोगों मंदिर प्रबंधन मंदिर कारदारों द्वारा थौंप मंदिर प्रवेश पर लगाई गई रोक की अनुसूचित जाति के लोगों के प्रवेश से देवी देवता नाराज हो कर आक्रोश में आ जाता और खोट दोष लगता है। इस बारे भी कार्रवाई करने को लेकर आशा करते हैं राज्य सरकार के हस्तक्षेप के चलते मामले दबाव के चलते दर्ज ही नहीं किए जाते हैं।

अत: - माननीय माननीय उच्च न्यायालय एवं मंत्री एवं विधायक विनोद कुमार सहित अन्य स्तरों के सभी मामलों में उचित न्याय संगत कार्रवाई का विनम्र आग्रह करते हैं।

इस आश्य से सबंधित समाचार पत्र के मूल पत्र की फोटो स्टेट प्रति सलंग्न पत्र है।।

दिनांक 07/01/2020

सेवक
करम चंद भाटिया,
सामाजिक कार्यकर्ता,
नजदीक जिलाधीश कार्यालय
लोअर बाजार शिमला,
पिन171001, हिमाचल प्रदेश।